



राजस्थान रोजगार संदेश

(पाक्षिक)

(राजस्थान सरकार के रोजगार सेवा निदेशालय द्वारा प्रकाशित व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार संबंधी सूचनाओं का एकमात्र प्रकाशन)

वर्ष 44 अंक 1

Website: <http://employment.livelihoods.rajasthan.gov.in>

15 फरवरी, 2021

फोन : 2368398

मूल्य : 2.00

वार्षिक शुल्क 40 रु

विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक : वि.सं. 08/परीक्षा/SI-PC/EP-I/2020-21

दिनांक 03.02.2021

पाक्षिक का 44वें वर्ष में प्रवेश

राजस्थान सरकार का हिन्दी पाक्षिक पत्र राजस्थान रोजगार संदेश इस अंक के साथ अपने प्रकाशन के 43 वर्ष पूर्ण कर 44वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है।

प्रकाशन की तैलमीस वर्ष को इस सन्तु यात्रा में सहृदयी पाठक वर्ग का हमें पूर्ण सहयोग मिला। पाक्षिक के 44वें वर्ष में प्रवेश के अवसर पर पाठकों, विज्ञापनदाताओं, वित्तकों तथा इससे जुड़े अन्य सहयोगियों को बधाई एवं आभार !

सम्पादक

आयोग द्वारा गृह (ग्रुप-1) विभाग हेतु गैर टीएसपीक्षेत्र (सामान्य) हेतु राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के अन्तर्गत एवं टीएसपी क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तों) नियम, 2014 के अन्तर्गत उप निरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर के कुल 859 पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई हैं एवं विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों (पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती है) की वर्गवार संख्या निम्नानुसार है:-

No. of Post(s)	Gen.(UR)				S.C.				S.T.				O.B.C.				M.B.C.				E.W.S.				
	सामान्य	सा.म.	विधवा	परिव्यक्ता	सामान्य	सा.म.	विधवा	परिव्यक्ता	सामान्य	सा.म.	विधवा	परिव्यक्ता	सामान्य	सा.म.	विधवा	परिव्यक्ता	सामान्य	सा.म.	विधवा	परिव्यक्ता	सामान्य	सा.म.	विधवा	परिव्यक्ता	
उप निरीक्षक (ए.पी.) 746 पद																									
NON TSP-663	170	49	19	4	52	15	5	1	52	15	5	1	124	35	14	3	24	7	2	0	47	13	5	1	
बारों जिले की समस्त तहसीलों की सहरिया आदिम जाति - 2 (सा.-2, सा. महिला-0)																									
TSP-81	35	10	4	1	3	0	0	0	20	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दण्डवत आरक्षण - भूतपूर्व सैनिक 92 (नॉन टीएसपी-82 एवं टीएसपी-10) पद																									
उप निरीक्षक (आई.बी.) 64 पद																									
NON TSP-63	28	9	3	0	7	2	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5	1	0	0	
TSP-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
दण्डवत आरक्षण - भूतपूर्व सैनिक 7 (नॉन टीएसपी-07) पद																									
प्लाटून कमाण्डर (आर.ए.सी.) 38 पद																									
NON TSP-38	11	3	1	0	5	1	0	0	5	1	0	0	5	2	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	
दण्डवत आरक्षण - भूतपूर्व सैनिक 4 (नॉन टीएसपी-04) पद																									
उप निरीक्षक (एम.बी.सी.) 11 पद																									
TSP-11	3	1	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
दण्डवत आरक्षण - भूतपूर्व सैनिक 1 (टीएसपी-01) पद																									
विशेष नोट :- (1) केवल टी.एस.पी. क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी टी.एस.पी. क्षेत्र/गैर टी.एस.पी. क्षेत्र (सामान्य क्षेत्र) के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम आवश्यक रूप से अंकित करें। अभ्यर्थी द्वारा भरे गये प्राथमिकता क्रम के अनुरूप ही विचार किया जावेगा। प्राथमिकता क्रम भरे नहीं जाने पर टी.एस.पी. क्षेत्र हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध लाम देय नहीं होगा।																									
(2) सभी अभ्यर्थी उपरोक्त चारों शाखाओं (AP/IB/RAC/MBC)के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम आवश्यक रूप से अंकित करें।																									

नोट :-

- कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्पूर्वती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रणीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रणीत की गयी रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्पूर्वती वर्षों में उपलब्ध हो।
- राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।

(क्रमशः)

3. किसी वर्ष विशेष में या तो किसी या विभिन्न विभाग में या तो किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उत्पन्न न होने की दशा में विहितों को प्रस्ताव अर्ज-परिचय द्वाारा, अर्थात् विभागों के लिए आवेदन रिक्तियों को विभिन्न विभाग में रिक्तियों से या विचरने, नया जा सकता। पर्याप्त रूप से विभाग और विभिन्न विभाग अभ्यर्थियों के उत्पन्न न होने की दशा में, न नहीं रिक्तियों उसी प्रश्नों की अन्य महिलाओं द्वारा मरी जायेगी यात्रा तथा युक्त उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उत्पन्न न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आवेदन रिक्तियों उदा प्रश्नों के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा मरी जायेगी रिक्तों लिए रिक्तियां आवेदन है। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आवेदन रिक्तियां अर्थात् प्रश्नों के लिए उपयुक्त नहीं की जायेगी। किसी या विभिन्न विभाग में रिक्तियों सहित, महिलाओं के लिए आसक्त को प्रश्नों के भीतर शीघ्र आसक्त मान जायेगा अर्थात् प्रश्नों की सामान्य योग्यता में वर्णित महिला को भी पहले महिला को के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।
4. भूतपूर्व सैनिकों के लिए दर्राएँ गुरु प्रदे को आसक्त शीघ्र (Horizontal) है अर्थात् अभ्यर्थी विस वन का होगा उसे उसी वर्ष के अनर्गत समायोजित किया जायेगा।
5. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का अमेरस) नियम, 1988 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में जहां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आवेदन को रिक्रिट उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपस्थिति के कारण खाली रह जाती है तो उनके लिए इस प्रकार आवेदन रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार मरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अपने मरी वर्ष में अर्जनीत की जायेगी तथा तदनुसार पूर्व रिक्तियों व्यत हो जायेगी।
6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आवेदन पत्रों का ताम राजस्थान राज्य के मूल विधायित्वों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त ताम देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अनर्गत ही आवेदन करना होगा। सामान्य श्रेणीका न्यायालय द्वारा CA No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.09.2018 एवं भारतीय राजा न्यायालय, जयपुर द्वारा DBSAW No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहराजन राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे Public employment में एरसी /एरटी/एरसीसी/एरसीसी में आसक्त का ताम नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अनर्गत ही आवेदन करना होगा।

अभियंता शैक्षणिक योग्यता :-

1. Must hold a Degree of any of the Universities incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other Educational Institution established by an Act of Parliament or State Legislature or declared to be deemed as University Under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or possess an equivalent qualification recognized by the Government in consultation with the Commission.
2. Working knowledge of Hindi written in Devnagri Script and knowledge of Rajasthan Culture.

शैक्षणिक अर्हा संशुद्धी प्रकाशन
उक्त पत्र की अभियंता शैक्षणिक अर्हा को अभियंता में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आवेदन पत्र द्वाारा अभियंता साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हा अर्जित करने का सूत्र देना होगा, अथवा आवेदन होगा।
नोट :- साक्षात्कार से पूर्व अभियंता का आसक्त साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारम्भ होने की दिनांक (साक्षात्कार का पत्र देना है।)
रिजल्ट में बैंड
डे-मरिटस लेवल L-11 (Grade Pay -2000)-नोट - राज्य सरकार के नियमनुसार परीक्षाफल में निम्न श्रेणीक ताम (Fix Pay) देय होगा।
आरु सीमा
दिनांक 01.01.2022 को न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 25 वर्ष से कम।

क्र.सं.	विशेषित पदों हेतु विहित शर्तों / अन्य विशेष शर्तों हेतु आरु सीमा में घटाने के प्रावधान	अधिकतम आय में घट्ट
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष	5 वर्ष
2.	सामान्य वर्ग की महिला एवं राजस्थान राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) की महिला	5 वर्ष
3.	राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की महिला	10 वर्ष
4.	भूतपूर्व सैनिकों की शिफ्ट/अर्हा अर्थात् निम्न का रकम अर्थात् रतरे से रिजमेंट में ट्रांसफर हो गया हो, के लिए अधिकतम आय सीमा 40 वर्ष होगी। The upper age limit mentioned above shall be 40 years in the case of Ex-Service Personnel and Reservists, namely the service personnel who are transferred to Reserve	
5.	राजस्थान राज्य सरकार के कोर्पोरेशन एवं कर्मचारियों तथा कर्मचारी पालन करते समय मरे पुरिस अधिकारियों/कर्मचारियों के अर्हा के लिये अधिकतम आय सीमा में तीन वर्ष की घट्ट देय होगी। 3 Years in case of the candidates belonging to state Government employees and the dependents of the deceased Police Officers/Officials killed in the discharge of their duties.	
6.	निम्नलिखित आसक्त कर्मचारी अधिकारियों को एवं तबु सेवा कर्मचारी प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निम्नलिखित होने के पश्चात् देय जायेगा के समस्त अधिकार, आरु सीमा में समस्त आसक्त बंधे उपरान्त आय सीमा पर कर ही यदि सेना में कर्मचारी प्रवृत्त करने के समस्त आयु सीमा की घट्ट से कम हो। That the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after release from the army, shall be deemed to be within the age-limit, when they appear before the Commission had they been eligible as such at the time of their joining the commission in the Army.	

नोट -

1. शासन के गुरु नियम के प्रावधान 246(ग)नु-1/2017 दिनांक 20.01.2021 के द्वाारा राजस्थान पुलिस अधिनियम सेवा नियम, 1989 के नियम 11 में परन्तु 3(अ)के प्रावधानानुसार अर्हाके प्रवृत्त मानने हेतु सभी आवेदकों को अरु सीमा में 2 वर्ष की घट्ट प्रदान की गई है।
2. उपरोक्त शर्तों आरु सीमा में घट्ट के प्रावधान असंगत (Non Cumulative) है। अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त शर्तों किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आय सीमा में घट्ट का ताम दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर घट्ट का ताम नहीं दिया जायेगा।
3. आर्थिक (E-W.S.) नियम के परिचय दिनांक 28.7.2017 एवं दिनांक 14.9.2017 के अनुसार यदि किसी आवेदक वर्ग (SC/ST/BC/MBC/EWS) के अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उक्त देय किसी अन्य विभाग (जैसे- आरुसीमा, अर्हा, फिजिकल फिटनेस आदि) का ताम दिया जात है तो उसे सामान्य शिफ्टों के प्रति शिफ्ट नहीं किया जायेगा।
4. राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए निम्नलिखित दिनांक तक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए।
5. अन्य शिफ्ट शिफ्टों हेतु आरु सीमा में घट्ट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अर्जित किये गये हैं। किसी प्रकार के शिफ्ट आरु की शिफ्ट में अंग्रेजी भाषा में अर्जित प्रावधान ही मान्य होगी।
6. शिक्षान में शिफ्टित पदों में दर्राएँ गये आसक्त के अनुसार, उन्हें ताम देय होगा।

अन्य विवरण

घरान प्रक्रिया
अभ्यर्थियों का घरान प्रक्रिया परीक्षा, शारीरिक क्षमता परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा।
परीक्षा का स्थान एवं माह
परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में व्यवहारम सूचित कर दिया जायेगा।
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम
यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में (Online/Offline) ती जायेगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आवेदन की वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जायेगा।
आवेदन अर्हा
दिनांक 09-02-2021 से दिनांक 10-03-2021 तक 12-00 बजे तक।

1. उक्त पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र मानने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी आवेदन की वेबसाइट <https://rpcs.raajasthan.gov.in> पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन-पत्र करने के सम्बन्ध में विदे गये दिशा-निर्देश (Instructions for Applicants), विस्तृत शिक्षान एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। तदुपरांत ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें।
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आवेदन के ऑनलाइन पोर्टल <https://rpcs.raajasthan.gov.in> पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एएस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल <https://sso.raajasthan.gov.in> से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का ब्रान करना होगा।
- Recruitment Portal पर आसक्त आसक्त One Time Registration (OTR) भी कर अभ्यर्थी परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात् Recruitment Portal पर उपलब्ध भूतगत सूचना से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर आवेदन पत्र क्रमांक (Application LD) उत्तर देना होगा।
- अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सूचना का उपयोग नहीं करें।
- अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफण्ड नहीं किया जायेगा।
- अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अर्जनीत रिक्तों से पूर्व सुनिश्चित करे ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transaction का तामित रत्यान समस्त रहने ही सके।
- आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन-पत्र क्रमांक (Application LD) अर्जित का प्राप्त नहीं हुआ है, तो इतना बंधे यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं करना जायेगा।
- आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपना किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर विदे गये Helpline Number या E-Mail पर सम्पर्क करें।
- आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑन-लाईन आवेदन करें।
- राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की शिफ्ट/अर्हा श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से निम्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अनर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए सामान्य वर्ग के अनर्गत ही आवेदन करना होगा।
- अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र व परीक्षा शुल्क रसीद की हार्ड कॉपी का फिण्ड आवश्यक रूप से फिण्ड लेंगे।
- आवेदन पत्र अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के अतिरिक्त किसी भी परिधिचित में किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाइन या ऑनलाइन/हाथ से मरा हुआ आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन पत्र संशुद्धी संशुद्धी सूचना - आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् आवेदन पत्र आवेदक को उरसे नाम, जाम तिथि, विषय एवं आदि की जानकारी एएस.एस.ओ. के जरिए भेजी जायेगी। एएस.एस.ओ. से प्राप्त जानकारी में विरतति होने पर अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में भिन्नानुसार गुरु संशुद्धी कर सकते हैं -

1. यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशुद्धी करना चाहता है तो आवेदन की अर्हा के दौरान एवं आवेदन पत्र की अर्जनीत दिनांक के पश्चात् 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क रूपये 300/- देकर Online संशुद्धी (आवेदन की वेबसाइट <https://rpcs.raajasthan.gov.in> पर उपलब्ध दिशा-निर्देशानुसार) कर सकते हैं। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशुद्धी/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं एसी किसी भी घट्ट का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। ऑनलाइन संशुद्धी के तहत आवेदक के नाम में संशुद्धी नहीं किया जायेगा। आवेदक के नाम की त्रुटि संबंधी संशुद्धी के लिए किसी भी रतत पर केवल ऑनलाइन प्रारंभ पत्र ही स्वीकार किए जायेंगे, आवेदक का पुरान नाम किसी भी शिफ्ट में परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
2. किसी परिवर्तन/रिक्तान वर्ग के वे अभ्यर्थी जो उस केटेगरी जोड़ना चाहते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा/संबंधी परीक्षा अथवा साक्षात्कार के अर्जनीत परीक्षा घोषणा की तिथि से पूर्व तक वर्ग परिवर्तन स्वीकार्य होगा। परीक्षा के प्रत्येक वर्ग के मूल परीक्षा (मूल परीक्षा से तालव्य प्रश्न पत्र जारी परीक्षा से होगा न कि अन्य किसी रिक्तान परीक्षा से) से पूर्व प्राप्त ऐसे प्रश्नों का स्वीकार्य होगा। किसी भी शिफ्ट में किसी वर्ग के परीक्षा घोषणा के उपरान्त प्राप्त प्रश्नों पत्रों में पूर्व घोषित परीक्षा में संशुद्धी नहीं किया जायेगा, परन्तु यदि कोई अभ्यर्थी प्रश्न पत्र के परीक्षा में मूल केटेगरी में उरसीत है एवं बाद में विभाग/परिक्तान/रिक्तान हो गए हो तो उन्हें अपने वर्ग की परीक्षा घोषणा की तिथि तक इस श्रेणी का ताम देय होगा।
3. प्रश्न पत्र की परीक्षा आगेजिन के पश्चात् आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशुद्धी हेतु 10 दिवस का एक अतिरिक्त अवसर दिया जायेगा जिससे अर्जनीत अभ्यर्थी नाम, परीक्षा केन्द्र, कोट/प्रभाग, हस्ताक्षर एवं विषय/पद के अतिरिक्त सभी प्रश्न के संशुद्धी ऑनलाइन कर सकते। सभी संशुद्धी हेतु शुल्क रूपये 300/- निर्धारित है।
4. आवेदन पत्र अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी तहत से कोई संशुद्धी स्वीकार नहीं किया जायेगा व उक्त ऑनलाइन/ऑनलाइन संशुद्धी तिथि उपरान्त किसी भी परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

परीक्षा शुल्क-

- (क) सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं राजस्थान के शिफ्ट/अर्हा श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु :- रूपये 300/-
- (ख) राजस्थान के शिफ्ट/अर्हा श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु :- रूपये 250/-
- (ग) सामान्य शिफ्ट/अर्हा श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु :- रूपये 150/-

1. टी.एन.पी. केर के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति एवं ब्रांच जिले की सरतत हदसीत के सहयोग अर्जनीत जाति हेतु परीक्षा शुल्क रूपये 150/- होगा।
- राजस्थान राज्य से निम्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी मान जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।
- राज्य सरकार द्वारा मरी वर्ष के अभ्यर्थियों की आर्थिक स्थिति के दृष्टिकरण लिये गये निर्णय के क्रम में जारी परिचय दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने परीक्षा की शर्तिकां अरु 250 लाख रुपये से कम हैं, के लिए किसी भी शर्तिकां/रक्षण/घरान में प्रवेश करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के समान ही आवेदक शुल्क देय होगा। उक्त परिचय के अनुसार राजस्थान राज्य के शिफ्ट/अर्हा श्रेणीका ऑनलाइन आवेदन के समय परिवर्तन की शर्तिकां अरु 250 लाख रुपये से कम होना कि विकल्प भुगतान गता है, उन अभ्यर्थियों को घराना/साक्षात्कार से समस्त प्रश्नोक्तों द्वारा जारी अरु प्रश्न पत्र प्रस्तुत करना अतिरिक्त होगा। अथवा अभ्यर्थी को उरसे वर्ग के अनुसार अरत रात का शुल्क जमा करवाना होगा। उक्त ताम राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों को ही देय होगा। राजस्थान राज्य से निम्न राज्यों के आवेदकों को सामान्य वर्ग हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा।

Physical Fitness - A candidate for direct recruitment of the Service, must be in good mental and bodily health and free from any mental or physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties as a member of Service and if selected must produce a certificate to that effect from a Medical Authority notified by the Government for the purpose.
प्रत्येक पुरुष उम्मीदवार की उम्मीदगी ताम सीने की परिधि निम्नलिखित से कम न हो -

1. ऊँचाई :- 168 से.मी.
2. सीना तिरा कुनये 81 से.मी. तथा फुलाने पर 88 से.मी. (सीने के न्यूनतम 5 से.मी. फुलाने के साथ) से कम नहीं

नोट :- 1. पहली तथा जनाति केर के अभ्यर्थियों की ऊँचाई 160 से.मी. से कम नहीं होगी बालिश तथा सीना तिरा कुनये 79 से.मी. तथा फुलाने पर 84 से.मी. सकन नहीं होगी बालिश।

2. महिला उम्मीदवार की ऊँचाई एवं वजन क्रमशः 152 से.मी. एवं 47.5 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए।
3. ऊपर वर्णित शारीरिक सन्तुल्यता के मानदण्डों के धारक राजस्थान की अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवार बालिश संशुद्धी में उपलब्ध न होने की स्थिति में राजस्थान की अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों की ऊँचाई एवं सीने के माप में 5 से.मी. तक की घट्ट दी जा सकती है।

A written Competitive Examination for the post of Sub Inspector in Section III and V for the post of Platoon Commander in Section IV and VI shall be conducted by the Commission at such places and time as may be notified by the Commission on the following pattern.

S. No.	Subject	Duration	Maximum Marks
1.	General Hindi	2 hours	200
2.	General Knowledge & General Science	2 hours	200

(To be answered in English or Hindi)

Note :- Syllabus and standards of each subject will be designed in consultation with the Commission

Candidates who obtain 36 percent of marks in each paper and 40 percent in the aggregate, shall be deemed to have passed the qualifying examination conducted by the Commission. The Commission shall send the list of such successful candidates up to 20 times the number of vacancies on the basis of merit based on the aggregate marks obtained in the written examination.

Provided that relaxation upto 5 marks will be available to candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in each paper and in the aggregate.

Candidates who are declared successful in the written examination shall be required to appear before a Physical efficiency Board for physical efficiency test. The physical efficiency test would be vigorous as laid down by the Director General of Police to adjudge suitability of the candidate. The physical efficiency test shall carry 100 marks and the candidates who secure 50% marks therein, shall be eligible for selection. Candidates who are declared successful in the written test and in the physical efficiency test shall be eligible for aptitude test and interview.

Provided that the number of candidates called for aptitude test and interview shall be restricted to three times the number of vacancies on the basis of merit based on the aggregate marks obtained both in the written and in the physical efficiency test except in the case of scheduled castes and scheduled tribes candidates who shall be eligible for interview in excess of the prescribed limit if they have qualified in the written examination and the physical efficiency test.

The aptitude test and interview of the candidates qualifying physical efficiency test, shall carry 50 marks. The aptitude test and interview shall be held by a Recruitment Board. The Recruitment Board shall award marks to each candidate in respect of suitability to the post, taking into consideration personality, address, tact, behaviour, specialized training, aptitude for the post, judgment, leadership and knowledge of Rajasthan history. The marks so awarded shall be added to the marks obtained in the written test by each candidate. Candidates holding Degree or Diploma in criminology or N.C.C. "C" Certificate or who have offered Police Administration as one of the papers for the degree examination may be given weight.

RECOMMENDATION

The Commission shall not recommend candidates, who have secured less than 36% marks in interview and 45% marks in aggregate. Provided that the Commission may recommend women candidates, candidates belonging to the OBC, MBC, SC, ST, who though failing to obtain the minimum marks, are declared by Board to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, if the candidates secure 30% marks in interview and 40% marks in the aggregates.

अर्हा महत्वपूर्ण निम्न/नोट :-

1. अपनी Online Application Form में अपना वही मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. अर्जित करे लिसा पर यह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी सूचना SMS & E-Mail के माध्यम से चाहता है। ऑनलाइन आवेदन में अर्जित मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. बदलने/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचना प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की रतत की जिम्मेदारी होगी।
- आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन-पत्र ध्यानपूर्वक मरे। आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन-पत्र अर्जनीत रूप से भरने से पूर्व उरसी समस्त प्रक्रियाओं से आसक्त हो लें कि सभी प्रक्रियाओं सही-सही मरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में मरी गई प्रक्रियाओं को ही सही मानकर आवेदन पत्र आने की कार्यवाही की जायेगी।
- अभ्यर्थी आवेदन पत्र निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अर्जनीत दिनांक का इतनाकर किये विना अपना ऑनलाइन आवेदन-पत्र अर्जनीत करे, अथवा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए आवेदन विमर्शर नहीं होकर अभ्यर्थी रतत जिम्मेदार होगा।
- आवेदक द्वारा रतत/ई-मेल/अन्य किसी त्रुटि से ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने/भरवाने समय किसी प्रकार की कोई त्रुटि/भूलना/घट्ट हो जाती है, तो इतनी समय निम्नानुसार आवेदन-पत्र अर्जनीत करे। इसलिए आवेदक संशुद्धी ऑनलाइन आवेदन-पत्र के Preview में अपनी जाति/वर्ग/श्रेणी, आरु (अन्य दिनांक), योग्यता इत्यादि संबंधी त्रुटियों की जांच आवश्यक रूप से करने के पश्चात् ही उरहे सुचारुत हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र को Submit करे और उरसक्त फिण्ड लेकर उरसी जांच आवश्यक रूप से पुनः कर लें। अगर फिर भी कोई त्रुटि/घट्ट जाती है, तो आवेदन पत्र ऑनलाइन आवेदन-पत्र में संशुद्धी की उपयुक्त प्रक्रिया अनुसार आवश्यक रूप से कर लें। इसके पश्चात् किसी प्रकार का कोई ऑनलाइन या ऑनलाइन संशुद्धी/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं एसी किसी भी घट्ट का संपूर्ण दायित्व रतत अभ्यर्थी का ही होगा। साथ ही आवेदक को यह भी विदयान दे जाती है कि आवेदक अरु ई-मेल अथवा अन्य त्रुटि से आवेदन करवाने है, तो आवेदक रतत/ई-मेल अथवा अन्य त्रुटि पर जाकर आवेदन करवायें। ई-मेल अथवा अन्य त्रुटि के भरोसे न छोड़ें कि उरसक्त द्वारा आवेदन ऑनलाइन आवेदन-पत्र सही-सही भर दिया होगा/जायेगा।

- (5) यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकतम का परिवारवासी मानते हुए आवेदन पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। पत्राचार श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन-पत्र आवेदन द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है। किसी समस्त विभागीय आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट विद्वान/मूलपूर्व सैनिक/टी.एस.पी./विद्या/परिवारवा/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/नैर राजपति कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य वर्ग के अर्थात् Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। ऑनलाइन Online Application Form प्रारि की अनिवार्य प्रस्ताव/संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अर्थात् को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का नाम विज्ञापित पदों हेतु देव नहीं होकर आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में जो श्रेणी/वर्ग मती/मह है, उसी श्रेणी/वर्ग में ही मानकर कार्यवाही की जाएगी एवं अर्थात्/आवेदक द्वारा प्रेषित श्रेणी/वर्ग में ऑनलाइन आवेदन-पत्र माह है उस संबंधित वर्ग/श्रेणी से संबंधित प्रमाण-पत्र/दस्तावेज तथा सभ्य प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक/अर्थात् का ऑनलाइन आवेदन-पत्र निरस्त/रद्द/पत्राचार रद्द कर दी जायेगी/जायेगा।
- (6) आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में मरी पूर्व सूचनाओं के आधार पर ही अर्थात् की पत्राचार (आयु, योग्यता, श्रेणी इत्यादि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा मरी पूर्व सूचना के आधार पर देव अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाइन आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त विभागीय स्तर आवेदक की होगी।
- (7) आवेदक जिसके ऑनलाइन आवेदन पत्र, आवेदन-पत्र प्रारि की अनिवार्य प्रमाणित तब आयोग कार्यवासी को पूर्व सूचना सहित प्राप्त होगे, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा अनिश्चित (Provisional) रूप से संबंधित मती पत्राचार/साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाएगा। पत्राचार के विवेक प्रवेश-पत्र जारी करने का यह अधिकार नहीं है कि आवेदक द्वारा उक्तकी उम्मीदवरी अर्थात् रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवरी द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित प्रविष्टियाँ आयोग द्वारा सही मान ली गई है। आयोग/विभाग द्वारा आवेदकों की पत्राचार की जांच करना से ही जायेगी। अर्थात् रूप से वयन होने की स्थिति में आवेदक को निम्न आवेदन-पत्र प्रविष्टियों में समस्त आवेदक दस्तावेजों की स्वामित्व को प्रेषित एवं परीक्षा हेतु जारी ई-प्रवेश पत्र की प्रारि के साथ आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आयोग द्वारा उम्मीदवरी की पत्राचार की जांच करने तथा मरी प्रवेशों से पत्राचार की जांच करने तथा मरी प्रवेशों का नाम देव जायेगा। इसी प्रकार ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारि की अनिवार्य प्रमाणित/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट विद्वान/मूलपूर्व सैनिक/टी.एस.पी./विद्या/परिवारवा/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/नैर राजपति कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य वर्गों की पत्राचार नहीं करने के कारण एवं अर्थात् की अपत्राचार का पता चलता है तो देव परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवरी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है। जिसकी समस्त विभागीय स्तर अर्थात् की होगी।
- (8) माननीय राज्य न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.Special Appeal Writ No. 1631/2017 अधीनस्थी वयन प्रिक्का जेन व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्रारि की अनिवार्य प्रमाणित तब विद्या/परिवारवा वर्ग में आवेदित महिला द्वारा आवेदन पत्र प्रारि की अनिवार्य प्रमाणित के पश्चात् पुनर्विचार कर लिया जाता है तो मी उसे विद्या/परिवारवा वर्ग का नाम देव जायेगा। इसी प्रकार ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारि की अनिवार्य प्रमाणित के पश्चात्/अधिकतम राज की परीक्षा का नाम निर्धारण जारी किये जाने से पूर्व जो आवेदक/अधिकतम विद्या/परिवारवा वर्ग/हू/हू है, उन्हें विकलांग/विद्या/परिवारवा वर्ग का नाम लेते हुए उपायुक्त प्रविष्टि प्रेषित आयोग अर्थात् अर्थात् रूप से परिवर्तन करवना होगा अथवा उसे विकलांग/विद्या/परिवारवा वर्ग का नाम देव नहीं होगा। यदि परिवारवा/वलाकृत आवेदक का तत्काल समन्वय प्रकरण/देव माननीय न्यायालय में विचारवाही/अर्थात् है एवं डिक्री पारित नहीं हुई है, तो परिवारवा/वलाकृत श्रेणी/वर्ग का नाम देव नहीं होगा। साथ ही विद्या/परिवारवा श्रेणी की महिला को ऑनलाइन आवेदन की अनिवार्य प्रमाणित तब पुनर्विचार नहीं किये जाने संबंधी विद्या/परिवारवा श्रेणी में होने संबंधी पत्राचार पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (9) आवेदक उक्त पर हेतु ली आवेदन करें जब वह उक्त पर हेतु विज्ञापन में निश्चित नियम व उक्त आयु सीमा के अनुरांत बाह्य शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित समपूर्ण मान्यता/मान्यता पूर्वक बना हो। साथ ही देव विज्ञापन में दी गई उक्त शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अनुरांत अन्य किसी योग्यता एवं अनुभव को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापन में उल्लिखित अनुसार शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण-पत्र होने पर ही पत्र नाम जायेगा अथवा अपत्राचार माना जायेगा।

प्रमाण-पत्रों का सत्यापन -

आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट विद्वान/मूलपूर्व सैनिक/ टी. एस.पी./विद्या/परिवारवा/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/नैर राजपति कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य) का नाम देव ही देव होगा जबकि परीक्षा/अनुभव प्रमाण/संबंधी परीक्षा में उपायुक्त प्रविष्टि होने पर मरी दस्तावेजों से उक्तकी पत्राचार की जांच कर ली गई हो तथा दस्तावेज सही किये गए हों। अतः पत्राचार की जांच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जाये :-

- 1. जाति प्रमाण-पत्र जो कि सम्य प्रधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारि पर जारी किया हुआ हो।
- 2. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवेश स्थापन एवं श्रीमतीवर/नोन श्रीमतीवर की प्रविष्टियाँ सही-सही एवं पूर्ण मती गई हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण-पत्र निम्नानुसार नवीनमान जारी किये हुए होने आवश्यक है।
- 3. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नवीनमान प्रमाण-पत्र जो निम्नानुसार पित/माता की आप के आधार पर सम्य अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारि पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विभाजित महिला आवेदक को अस्वीकृत प्रमाण का नाम प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवेश स्थापन व आय के आधार पर सम्य प्रधिकारी द्वारा विहित प्रारि में निम्नानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अथवा उक्त वर्ग का नाम देव नहीं होगा। पति के नाम, निवेश स्थापन व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- 4. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के श्रीमतीवर के अर्थात् को आरक्षण को आरक्षण का नाम देव नहीं है। अतः ऐसे अर्थात् को Online Application Form में सामान्य वर्ग से आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
- 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निम्नानुसार सम्य प्रधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारि पर जारी किया हुआ होना चाहिए तथा टी.एस.पी. क्षेत्र का प्रमाण-पत्र कॉमिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार अधिसूचना के पश्चात् का जारी किया हुआ होना चाहिए।
- 6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विभाजित महिला आवेदक को अस्वीकृत प्रमाण का नाम प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवेश स्थापन व आय के आधार पर सम्य प्रधिकारी द्वारा विहित प्रारि में निम्नानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अथवा उक्त वर्ग का नाम देव नहीं होगा। पति के नाम व निवेश स्थापन के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- 7. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अर्थात् को निम्नानुसार सम्य प्रधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारि में जारी Income & Assets Certificate प्रस्तुत करना होगा।
- 8. शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता/अनुभव आवेदन की अनिवार्य प्रमाणित/परीक्षा प्रमाणित/साक्षात्कार दिनांक तक (जो मी विज्ञापन में उल्लिखित है) अर्थात् होना आवश्यक है तथा सेवा सही सेवा-श्रेणी/वर्ग/वर्ग/वर्ग/टी.एस.पी. श्रेणी (सम्य प्रधिकारी द्वारा निम्नानुसार निर्धारित प्रारि में प्रमाण-पत्र), आयु (आयु की गणना हेतु शैक्षणिक परीक्षा प्रमाण-पत्र), उत्कृष्ट विद्वान (आयोग की वेबसाइट पर उल्लेखित दिनांक-निर्धारित प्रमाण-पत्र), विकलांगता (सम्पूर्ण मात वर्ग के किसी भी राज्य के सम्य विकलांग अधिकारी द्वारा जारी) प्रविष्टि व अन्य अधिक का विकलांगता प्रमाण-पत्र जिसमें निश्चय की श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख हो। राज्य कर्मचारी/नैर राजपति कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी एवं अन्यादि के अनुसार प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। विद्या श्रेणी में आवेदन करने वाले अर्थात् के पास पति का मरी प्रमाण-पत्र एवं पति के नाम से सिंग प्रमाण पत्र तथा परिवारवा/वलाकृत श्रेणी में आवेदन करने वाले अर्थात् के पास माननीय न्यायालय द्वारा पारित तत्काल समन्वय डिक्री पत्राचार का नाम परिवारवा होने की दिनांक तब तक होना आवश्यक है।

- 9. मूलपूर्व सैनिक के संबंध में प्रारि - कॉमिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पेशा अर्थात् करने के पश्चात् सेवायुक्त हो या/गवी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवायुक्त हो रहा/रही है या अपने सम्य प्रधिकारी से निरवका प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पर के लिए आवेदन करने का पत्र होगा/होगी, किन्तु पत्राचार से पूर्व उसे सम्य निर्धारित प्रधिकारी के सम्य सेवायुक्त का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मूलपूर्व सैनिक निरवका प्रमाण पत्र (N.O.C) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वार्षिक सेवायुक्त से पूर्व वयनित हो जाता/जाती है तो निर्धारित प्रधिकारी पत्राचार कालावधि को निर्धारित कर संकेत और उसे उसकी सेवायुक्त के दो मही की किसी कालावधि के भीतर-भीतर पर प्रमाण पत्र करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। कॉमिक (क-2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक एफ.5(19)कॉमिक/क-2/84 पत्र दिनांक 30.10.2017 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर के मूलपूर्व सैनिकों को निर्धारित में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। कॉमिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार यदि किसी मूलपूर्व सैनिक ने आरक्षण का कार्यदे लेने के पश्चात् राजस्थान सरकार के अधीन किसी पद पर एक बार सेवा ग्रहण कर ली है तो राजस्थान सरकार के अधीन पुनर्निर्धारण के प्रयोग से लिए उसकी मूलपूर्व सैनिक की प्राप्ति समाप्त हो जायेगी। राजस्थान सरकार के अधीन नियोजन ग्रहण करने के पश्चात् किसी व्यक्ति को एक निर्दिष्ट कर्मचारी माना जायेगा। परन्तु सौंदरी मती की दशा में उक्त किसी भी पद के लिए, किसी निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है, मूलपूर्व सैनिक को केवल इस कारण से कि वह, सरकारी सेवा में किसी निम्नतर पद, विरक्त अनुभव उच्चतर पद पर सौंदरी मती के लिए अर्थात् है, पर निर्धारित है, मूलपूर्व सैनिक प्रमाण के फायदे से विरहित नहीं किया जायेगा। परन्तु वह और कि यदि मूलपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी निर्धारण को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारि पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद विरक्त लिए उक्त आवेदन किया है के लिए आवेदन की तथ्य-सब शर्तों के बारे में कार्यदे लेना पत्राचार पत्र/वयनकर देता है तो ऐसे पदों पर निर्धारित के लिए उसे मूलपूर्व सैनिक प्रमाण के फायदे से विरहित नहीं किया जायेगा। परन्तु वह और कि मूलपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नियोजित/संवित/अवकाश/उत्तरव आधार पर पुनर्निर्धारण किया गया है को मूलपूर्व सैनिक प्रमाण के फायदे से विरहित नहीं किया जायेगा।
- 10. शासन के परिपत्र क्रमांक एफ.5(19)नू-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विहाइ वंशजक करवा जात अर्थात् किया गया है। तत्सम्यकी विहाइ प्रमाण-पत्र तथा सभ्य प्रस्तुत करना बाध्यता है।
- 11. एसा कोई भी अर्थात्, दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दे से अधिक बच्चे/संतान हो से संबंधित के विवेक नहीं होगा, परन्तु दे से अधिक बच्चे/संतानों वाले किसी भी आवेदक को निर्धारित के लिए तब तक निर्दिष्ट नहीं समाप्त जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उक्त बच्चे/संतानों की संख्या में बदलाव नहीं होता। परन्तु यह और कि उक्त किसी आवेदक को पुनः प्रवेश से केवल एक बच्चा/संतान है, किन्तु किसी एक पश्चात्वाती प्रवेश से एक से अधिक बच्चे/संतानों देव होते हैं, वही बच्चे/संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय एसी संतान की, जो पूर्वतः प्रवेश से पैदा हुई ही और निरवका है, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु वह मी किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय एसी संतान की, जो पूर्वतः प्रवेश से पैदा हुई ही और निरवका है, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु वह मी कि एसा कोई अर्थात् जिसने पुनर्विहाइ किया है जो किसी भ्रिष्टि के निरवका नहीं है और वह एसे पुनर्विहाइ से पूर्व इस उपनिर्णय के अधीन निर्धारित के लिए निर्धारित नहीं है तो उसे निर्दिष्ट नहीं किया जायेगा यदि एसे पुनर्विहाइ से एक प्रवेश द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो। तत्सम्यकी शपथ-पत्र तथा सभ्य प्रस्तुत करना बाध्यता है।
- 12. आवेदक को विज्ञापन में उल्लेखित अनुसार आवश्यक बाह्य अनुभव प्रमाण-पत्र तथा सभ्य प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- 13. विद्या/परिवारवा श्रेणी की महिला को ऑनलाइन आवेदन की अनिवार्य प्रमाणित तब पुनर्विहाइ नहीं किये जाने संबंधी विद्या/परिवारवा श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 14. आवेदक को अनिवार्य शैक्षणिक संस्था का वरिष्ठ प्रमाण-पत्र तथा सभ्य प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें वरिष्ठ के सम्बन्ध में कम से कम अठ्ठा का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा।
- 15. आवेदक को वयन उपरान्त आवरण समन्वयी पुरित सामान्य प्रमाण-पत्र तथा सभ्य निर्धारित प्रधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के विहाइ एसी किसी आरक्षणिक छात्र का उल्लेख नहीं होना चाहिए जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी आरक्षणिक प्रकरण में उपरोक्त होने या विरक्त/वद-न्यायिक रूप से विचारवाही होने पर निर्धारित हेतु अपत्राचार होगा।
- 16. आवेदक को वयन उपरान्त सम्य प्रधिकारी द्वारा जारी विकिसा जीव समन्वयी विकिसा प्रमाण-पत्र तथा सभ्य निर्धारित प्रधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णतः से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है।
- 17. आवेदक को पहले से ही सरकारी सेवा/सेवा केन्द्रीय/राज्य/सरकारी उद्यमों में नियुक्त है एवं उक्तका वयन उक्त पूर्व हेतु मती में हो गया है, उन्हें अपने नियोजका से अनप्रीति प्रमाण-पत्र तथा सभ्य प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना/अपूर्ण आवेदन-पत्र नहीं करने के सम्य में विशेष निर्देश -

अपूर्ण ऑनलाइन आवेदन-पत्र करने से पूर्व परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य विवर व सूचना के लिए परीक्षाधिकारी हेतु आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी नवीनमान एवं संशोधित आवेदन-पत्र व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा समन्वित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से करते ही आवेदन-पत्र करें। कोई गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र करने पर आवेदक का आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण विभागीय स्तर आवेदक की होगी तथा गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र के सुधार हेतु व्यक्ति/ऑनलाइन प्रमाण-पत्र/ऑनलाइन प्रमाण-पत्र/पत्र-व्यवहार इत्यादि स्वीकार नहीं किया जायेगा। शुद्ध आयोग द्वारा अर्थात् की पत्राचार की जांच समन्वित मती परीक्षा के परिणाम जारी होने के पश्चात् अर्थात् रूप से वयनित अर्थात् द्वारा प्रस्तुत विस्तृत आवेदन-पत्र के पश्चात् से पूर्व किये गये ऑनलाइन आवेदन-पत्र में मरी पूर्व सूचना के आधार पर की जाती है। इसलिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में मरी पूर्व सूचना को सही बनाने हुए मती परीक्षा में अर्थात् प्रवेश दिया जायेगा। अपर अर्थात् द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अपूर्ण सूचना मती है, तो अर्थात् का वयन रद्द करने का अधिकार आयोग का होगा व इसकी समस्त विभागीय स्तर आवेदक की होगी जिसके सम्य में अर्थात् को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

विशेष नोट - वहाँ वह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पर हेतु समस्त स्थिति उत्तमानुसार स्पष्ट की जा चुकी है अपर फिर भी आवेदक/ई-निर्वा/अन्य उल्लेख द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की कोई गलत/त्रुटि/तोता/अपूर्ण सूचना दे जाती है एवं उपायुक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अर्थात् द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आवश्यक बाह्य संशोधन नहीं किया जाता है या विज्ञापन के अनुसार पूर्ण पत्राचार नहीं करता है, इत्यादि के कारण आवेदक का ऑनलाइन/विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग द्वारा खारिज/निरस्त कर दिया जाता है, तो इस सम्य में किसी प्रमाण-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा और अर्थात् को कोई कानूनी अधिकार मी नहीं होगा।

अन्य विवर व सूचना - परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य विवर व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनमान एवं संशोधित परीक्षाधिकारी हेतु आवेदन पत्राचार का अवलोकन आयोग की वेबसाइट <https://rajexce.gov.in> पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देश/सूचना/रपट्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में निश्चित सहायक तथा व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं - 0145-263322 एवं 263320 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाये।

राजस्थान रोजगार संदेश

रा.रो.सं 07/2021

डॉ.आई.पी.अपर/सी/1184/2021

RAJASTHAN STATE GANGANAGAR SUGAR MILLS LTD.
 4th Floor, Nehru Sahkar Bhawan, Bhawani Singh Road, Jaipur-302006 (Rajasthan)
 CIN-U15421RJ1945SGC000285

EXTENSION OF LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION
VACANCY - ASSISTANT DISTILLERY CHEMIST.
JUNIOR PA (ENGLISH) & LABORATORY ASSISTANT
Last date to apply online for above posts are extended upto 28.02.2021,
12AM from 07.02.2021. Other informations are available on website
<https://rajexce.gov.in/RSGSMWEB/Website/Default.aspx>
 रा.रो.सं 08/2021 **General Manager**

(शुभम चौधरी)
सचिव

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018 दूरभाष नं. 0141-2722520

क्रमांक : प.14(85)RSSB/अर्थना/कृषि पर्यवेक्षक/सीधी भर्ती/2020/93

दिनांक 05.02.2021

विज्ञापन संख्या 01/2021

—:: कृषि पर्यवेक्षक (Agriculture Supervisor) सीधी भर्ती परीक्षा-2021 ::—

कृषि विभाग राजस्थान के लिये राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978 यथा संशोधित तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र (On Line Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र.सं.	पद का नाम	गैर अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	कुल पद
1.	कृषि पर्यवेक्षक	842	40	882

विशेष नोट :-

(1) Online Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करे। ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ लें तथा इसमें दिये गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(2) आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अधधीन परिवर्तनीय होगी।

1. आवेदन प्रक्रिया:- आवेदन Online Application Form में लिये जाएंगे जिन्हे राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरा जा सकता है। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व अपना SSO ID बना ले एवं SSO ID एवं Password याद रखें। यदि आवेदक ई-मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन भरता है तो ई-मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक सबसे पहले बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर recruitment पर Click करेगा। संबंधित भर्ती परीक्षा के सामने Apply Online पर Click करने पर Login Page खुलेगा जिसमें ई-मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक अभ्यर्थी के SSO ID एवं password से Login कर अभ्यर्थी का आवेदन भरेगा। जो अभ्यर्थी पहले से पंजीकृत नहीं है उसका पहले Not a Registered User Link पर Click कर www.sso.rajasthan.gov.in पर उसका पंजीयन करेंगे। पंजीयन के उपरांत उसका SSO ID एवं password प्राप्त कर Login करेंगे। ई-मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक आवेदक का आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के बाद Application preview Page खोलकर अभ्यर्थी को उसका भरा हुआ आवेदन दिखायेगा। अभ्यर्थी स्वयं अपने भरे हुए आवेदन की पुनः गहनता से जांच करेगा। यदि आवेदन में कोई त्रुटि रह जाती है तो ई-मित्र कियोस्क संचालक अभ्यर्थी के आवेदन में आवेदक से परामर्श कर त्रुटियों को दूर करेगा। त्रुटियों को सुधारने के बाद आवेदक को पुनः उसके आवेदन का Preview दिखाकर यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही है। सही-सही आवेदन भरने के बाद Submit पर Click करेगा। इसके बाद आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। सम्पूर्ण आवेदन भरने के बाद अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित परीक्षा शुल्क ई-मित्र कियोस्क पर जमा कराना होगा। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा रुपये 30/- (रुपये 20/- आवेदन पत्र भरने हेतु + रुपये 10/- परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देना होगा। आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी ई-मित्र कियोस्क संचालक से भरे हुए आवेदन की हार्ड कॉपी मय रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें। आवेदन को Submit करने मात्र से आवेदन भरा हुआ नहीं माना जावेगा। आवेदन Submit करने के बाद फीस जमा होने पर ही ऑनलाईन आवेदन भरा हुआ माना जायेगा। आवेदन Submit करने एवं फीस जमा कराने के बाद भी यदि आवेदन पर Transaction Failed आ रहा है तो आवेदन भरा हुआ नहीं माना जावेगा। ऐसी स्थिति में ई-मित्र हेल्पलाईन नम्बर 0141-2221424 / 2221425 पर सम्पर्क करें। ऑनलाईन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाईन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें। उपरोक्त प्रक्रिया से आवेदक स्वयं भी ऑनलाईन आवेदन भर सकता है।

अभ्यर्थी अपने SSO ID एवं password से Login करेगे। इसके पश्चात् Dashboard पर Ongoing Recruitment पर संबंधित परीक्षा के Apply now link पर Click कर अपना आवेदन भरेगे। आवेदन पूर्ण रूप से भरने के बाद Next पर Click करने पर Application preview Page खुलेगा। अभ्यर्थी स्वयं अपने द्वारा भरे गये आवेदन की पुनः गहनता से जांच कर ले तथा यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो अभ्यर्थी Update पर Click करके अपने आवेदन में संशोधन कर त्रुटियों को सही कर सकता है। त्रुटियों को सुधारने के बाद आवेदक पुनः अपने आवेदन का Preview देख कर यह सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां पूर्ण रूप

(क्रमशः)

से सही है। अर्थात् सही-सही आवेदन करने के बाद Submit पर Click करें। आवेदक अपना आवेदन Submit करने के बाद OK पर Click करेंगे। इसके बाद आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। OK पर Click करने के बाद Pay Fees का Page खुलेगा। अर्थात् अपनी श्रेणी के अनुसार परीक्षा शुल्क नोट बैंकिंग/ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/ई-मित्र के माध्यम से जमा कराया सकता है। आवेदन करने के बाद अर्थात् आवेदन की हार्ड कॉपी मय रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें। आवेदन Submit करने एवं फीस जमा करने के बाद भी यदि आवेदन पर Transaction Failed आ रहा है तो आवेदन मरा हुआ नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में ई-मित्र हेल्पलाइन नम्बर 0141-2221424 / 2221425 पर सम्पर्क करें। ऑनलाइन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाइन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें। आवेदन की रसीद अर्थात् को ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी। हाथ से भरे आवेदन-पत्र किसी भी रूप से चयन बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

नोट:-

1. आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रतियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रतियाँ सही-सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रतियों को ही सही मानकर आगे की कार्यवाही की जायेगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें। एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें सही किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
2. अर्थात् ऑनलाइन आवेदन भरने के उपरान्त रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें।
3. आवेदक यह ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन के उपरान्त उन्हें आवेदन-पत्र कमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन-पत्र कमांक (एसीकेएन आईडी) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदक आवेदन पत्र के preview को आवेदन submit न मानें।
4. कृपया ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञापित एवं अर्थात् को लिये आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देशों का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लें। इस विज्ञापित एवं उक्त दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखकर ही ऑनलाइन आवेदन भरें।
5. आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी दर्ज करें तथा इसे नहीं बदलें। महत्वपूर्ण सूचनाएं आवेदन में दर्ज मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी पर ही भेजी जाती हैं।

4. कृषि पर्यवेक्षक के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है :-

(क) गैर-अनुसूचित क्षेत्र

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग				बारां जिले की सहरिया आदिम जाति			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिवर्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिवर्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिवर्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिवर्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिवर्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिवर्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिवर्यक्ता
842	217	62	24	6	94	27	10	2	70	20	8	1	122	35	14	3	29	9	3	—	59	17	6	1	3	—	—	—

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)

विशेष योग्यजन				भूतपूर्व सैनिक				उत्कृष्ट खिलाड़ी			
B/LV	HI	LD/CP	MI/MD	101				16			
9	8	8	8								

(ख) अनुसूचित क्षेत्र

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिवर्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिवर्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिवर्यक्ता
40	14	5	1	—	2	—	—	—	13	4	1	—

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)						
विशेष योग्यजन				भूतपूर्व सैनिक		उत्कृष्ट खिलाड़ी
B/LV	HI	LD/CP	MI/MD	5		—
1	—	—	—			

नोट:-

1. गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे।
2. अनुसूचित क्षेत्र के उच्च रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करें। अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में अंकन नहीं करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये विचार नहीं किया जायेगा।
3. महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी एवं विशेष योग्यजनों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण दृष्टवत (Horizontal) से होगा।
4. विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढोत्तरी की जा सकती है एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों के संबंध में राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

विशेष सूचना:-

1. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के पात्र एवं उपयुक्त अर्थात् उपलब्ध नहीं होने की सलाह में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पर्यवर्तनी तौर पर वर्षों के लिए अग्रणीत किया जायेगा। तीन महीने वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रणीत की गई रिक्तियाँ सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी। यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा। परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अन्तर्गत सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यद्यार्थित, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिये ऐसी रिक्ति पर्यवर्तनी वर्षों में उपलब्ध हो।
2. राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।
3. महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) वर्गानुसार (Categorywise) 30 प्रतिशत होगा। महिला अर्थात् को आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक हैं, अनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा।

2. परीक्षा शुल्क:- आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र किबोर्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से चयन बोर्ड को भेजे।

- (क) सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व क्षीमीलेख श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु -रूपये 450/-
- (ख) राजस्थान के नॉन क्रोमलेख श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु -रूपये 350/-
- (ग) समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु -रूपये 250/-
- (घ) कार्मिक विभाग के परियंत्रक कमांक प.8(3) कार्मिक/क-2/18 दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्गों के ऐसे अर्थात्, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है, के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क रूपये 250/-देय है। (कृपया इस संबंध में नीचे अंकित नोट संख्या 5 भी अवश्य देखें।)

नोट:-

1. आवेदकों की सुविधा के लिये राज्य के समस्त ई-मित्र किबोर्क तथा जन सुविधा केन्द्र (C.S.C) की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
2. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अर्थात् को सामान्य वर्ग का अर्थात् माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अर्थात् के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।
3. फीस एक बार जमा होने पर वापिस नहीं लौटाई जायेगी।
4. फीस जिस श्रेणी की जमा कराई जाती है, अर्थात् को उसी श्रेणी का माना जायेगा। बाद में अर्थात् की श्रेणी में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
5. सभी वर्गों के ऐसे अर्थात्, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है तथा वे परीक्षा शुल्क रूपये 250/- ही जमा कराते हैं, ऐसे अर्थात् अपने परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र यात्रता की जांच एवं दस्तावेज के सत्यापन के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।
3. प्रवेश पत्र-बोर्ड द्वारा समस्त अर्थात् को बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन प्रवेश-पत्र जारी किये जायेंगे। बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। बोर्ड की वेबसाइट पर प्रवेश-पत्र जारी किये जाने की सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी। आवेदक अपना प्रवेश-पत्र वेबसाइट से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र कमांक एवं जन सुविधा (C.S.C) पर फीस जमा कराने का टोकन नम्बर ध्यान में रखें। उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश-पत्र सम्बन्धी सूचना आवेदक के ई-मेल आईडी (E-mail ID) एवं मोबाइल नम्बर पर भेजी जा सकती है।

स्पष्टीकरण:- किसी वर्ग(अनारक्षित पद(सामान्य वर्ग)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रोमलेख का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

4. महिलाओं हेतु आरक्षित पदों एवं पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परिवर्यक्ता (विवाह विधिमान महिला) महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि पर्याप्त विधवा अर्थात् उपलब्ध नहीं होती है तो विधवा के लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परिवर्यक्ता (विवाह-विधिमान महिला) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परिवर्यक्ता अर्थात् उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। यदि विधवा एवं परिवर्यक्ता दोनों ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र एवं परिवर्यक्ता महिला (विवाह विधिमान महिला) को विवाह विच्छेद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
5. अति पिछड़ा वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ.2 (12)/रि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों (नॉन क्रोमलेख) को 05 प्रतिशत आरक्षण देय है।
6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ.7 (1)/कार्मिक/क-2/2019 दिनांक 19.02.2019 एवं 20.10.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।
7. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 28.07.2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिये देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।
8. राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अर्थात् को सामान्य वर्ग का माना जायेगा।
9. बांरा जिले की सहरिया आदिम जाति के आवेदक को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही (क्रमशः)

उन्हें बांधा जिले में सहजिया जाति के लिये राज्य सरकार के निर्देश क्रमांक प.13(20) कार्मिक/क-2/91पार्ट/दिनांक 21.05.2013 के अनुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।

10. **भूतपूर्व सैनिकों हेतु**—(क) भूतपूर्व सैनिकों के अतिरिक्त जो भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।
(ख) भूतपूर्व सैनिक :-

- (1) प्रतिस्था (थल, जल, वायु सेना) सेवाओं से सेवानिवृत्त के समय आवेदक का चरित्र "अच्छा" से कम नहीं होना चाहिये जैसा कि उसकी सेवानिवृत्ति में दर्शाया गया हो।
- (2) प्रतिस्था सेवा से सेवानिवृत्त के पश्चात् किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे नियोजन के लिये अर्हक बना दे।

भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण राजस्थान स्थिति सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आगमन) नियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5 प्रतिशत पर आरक्षित है। भूतपूर्व सैनिकों के पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का उपलब्ध होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समाविष्ट किया जाएगा। उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जा सकता है। भूतपूर्व सैनिकों के लिये कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(18) कार्मिक/क-2/84 पार्ट-II दिनांक 17.04.2018 एवं 22.12.2020 के अनुसार प्राधान्य भी लागू होंगे।

"कोई व्यक्ति जो अपनी पेशा अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराकरण प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराकरण प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी) के अभाव पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को स्थगित कर सकता और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।"

"यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्जित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक/या कुल अंक, जहां कहीं भी निहित किये गये हों, तो पांच प्रतिशत या भूतपूर्व सैनिक की अनुपलब्धता की दशा में और पांच प्रतिशत अथवा सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित, जो भी उच्चतम हो, का शिथिलीकरण भूतपूर्व सैनिकों को दिया जायेगा।"

यदि किसी कारणवश भूतपूर्व सैनिक कार्यवाह्य नहीं करता है तो ऐसी स्थिति को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भर जायेगा और रिक्तियों की समान संख्या अगले बर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यंगत (Lapse) हो जायेगी।

11. **उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु**— उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.5(11)DOPA-II/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% देय होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समाविष्ट किया जाएगा। आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा और ऐसी रिक्ति पश्चात् बर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जाएगी। उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में केवल वे ही अर्हक आवेदन करें जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.5(3)डीओपी/ए-11/84 दिनांक 21-11-2019 में नीचे वर्णित योग्यता रखता हो। इनसे भिन्न योग्यता रखने वाले अर्हक उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये आरक्षित पदों पर चयन पर विचार नहीं किया जायेगा।

उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्बन्धी प्राधान्य :- कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.5(3)डीओपी/ए-11/84 दिनांक 21-11-2019 के अनुसार "उत्कृष्ट खिलाड़ी" से ऐसे खिलाड़ी अभिप्रेत है जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं और जिन्होंने :-

1. उक्त सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 3 में जो, उल्लिखित खेलकूद के किसी अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप में व्यक्तिः या टीम स्तर पर भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया

क्र.सं. 1	अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था 2	टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप का नाम 3
1	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई.ओ.सी.)	ओलम्पिक गेम्स(ग्रीष्मकालीन)
2	एशिया ओलम्पिक परिषद (ओ.सी.ए.)	एशियन गेम्स
3	दक्षिण एशियन ओलम्पिक परिषद (एस.ए.ओ.सी.)	दक्षिण एशियन गेम्स; जो सामान्यतः सैफ गेम्स के रूप में जाने जाते हैं।
4	राष्ट्रमण्डल खेल परिषद (सी.जी.एफ.)	राष्ट्रमण्डल गेम्स
5	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से संबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिषद	विश्व कप/ विश्व चैम्पियनशिप
6	एशिया ओलम्पिक परिषद से संबद्ध एशियन खेल परिषद	एशियन चैम्पियनशिप
7	अन्तरराष्ट्रीय स्कूल खेल परिषद (आई.एस.एस.एफ.)	अन्तरराष्ट्रीय स्कूल गेम्स/चैम्पियनशिप
8	एशियन स्कूल खेल परिषद (ए.एस.एस.एफ.)	एशियन स्कूल गेम्स/चैम्पियनशिप

या
2. स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिः या टीम स्तर पर मेंडल जीता हो ;
या

3. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन(एन.एस.एफ.) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप में व्यक्तिः या टीम स्तर पर मेंडल जीता हो ;
या

4. एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी के किसी खेलकूद में व्यक्तिः या टीम स्तर पर मेंडल जीता हो ;
या

5. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन/पैरा ओलम्पिक कमेटी ऑफ इण्डिया या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद की नेशनल चैम्पियनशिप/पैरा नेशनल चैम्पियनशिप या नेशनल गेम्स/नेशनल पैरा गेम्स में व्यक्तिः या टीम स्तर पर मेंडल जीता हो।

नोट:- कृपया उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी वे ही अर्हक आवेदन करें जिनके पास उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार उक्त प्रमाण पत्र हो। यदि किसी आवेदक ने जान-बूझकर बिना योग्य खेल प्रमाण पत्र उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी अर्हक की है, तो बोर्ड द्वारा ऐसे आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है।

12. **विशेष योग्यता (निःशक्तजन) के लिये** :-

- a. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अन्तर्गत निम्न लिखित श्रेणी के विशेष योग्यता को ही आरक्षण का लाभ देय है :-

- i. B/LV (Blindness/ Low vision)
- ii. HI(Hearing Impairment)
- iii. LD/CP(Locomotor Disability) Including Cerebral palsy, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid attack victims & Muscular dystrophy

- iv. Autism, Intellectual Disability, Specific Learning Disability & Mental Illness.
- v. Multiple Disabilities from amongst persons under clauses (i) to (iv) including deaf- blindness in the posts identified for each disabilities.

b. विशेष योग्यता के लिये दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अर्हक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समाविष्ट किया जाएगा।

c. उपरोक्त दर्शाए गए विशेष योग्यता के आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अर्हक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार ऐसी रिक्ति को अग्रणीत किया जाएगा।

d. विशेष योग्यता आवेदक Online application form में स्पष्टतापूर्वक अपने वर्ग एवं विशेषयोग्यता की श्रेणी विशेष का अवरण उल्लेख किया जायेगा।

e. ऐसे आवेदक जो विशेष योग्यता की श्रेणी में आते हैं, अपनी विशेष योग्यता के सम्बन्ध में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार समुचित सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा प्रदत्त स्थायी विशेष योग्यता प्रमाण पत्र (Permanent Disability Certificate) में विशेष योग्यता का स्पष्ट प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तता व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता (विशेष योग्यता) का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्यता होने पर ही अर्हक को विशेष योग्यताओं हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।

5. अनुसूचित क्षेत्र के अर्हकियों के लिए विशेष निर्देश :-

1. अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के अर्हकियों से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो अनुसूचित क्षेत्र के सदासी निवासी हैं और जो स्वयं या, यदि उनका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उनके माता-पिता/पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सदासी निवासी रहे हैं। कार्मिक(क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार इनके अन्तर्गत आने वाले किसी व्यक्ति से विवाह द्वारा संबंधित है और वह उनसे विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सदासी निवासी है।
2. अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति आरक्षण की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.13(20) कार्मिक/क-2/91/पार्ट दिनांक 04.07.2016 के अनुसार की जायेगी।
3. अनुसूचित क्षेत्र के लिए कार्मिकों का चयन राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्त) नियम-2014 के अधीन होगा। जहां पर इन नियमों में स्पष्ट प्राधान्य नहीं है, वहां पर राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978 तथा संशोधितके प्राधान्य लागू होंगे।
4. अनुसूचित क्षेत्र भारत के राष्ट्रपति, द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या एफ. 19(2) 80-एल-1 दिनांक 12.02.1981 द्वारा घोषित क्षेत्र के क्रम में कार्मिक(क-2) विभाग में अपने परिपत्र क्रमांक प.13(20) कार्मिक/क-2/91/पार्ट-3 दिनांक 01.06.2018 द्वारा भारत सरकार के शिक्षा एवं न्याय मंत्रालय (शिक्षा विभाग) की अधिसूचना दिनांक 19.05.2018 (शेड की वेबसाइट पर उपलब्ध) के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र को विच्छिन्न (Rescinds) करते हुए अनुसूचित क्षेत्रों को पुनः परिनिश्चित (Redefined) किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अधिसूचना में शामिल अनुसूचित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुये ही अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट-अनुसूचित क्षेत्र के अर्हकियों के लिए वेतनमान, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु, पेंशन, विवाह पंजीयन, परीक्षा शुल्क जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन करने एवं आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, नियुक्ति की अवधि, प्रमाण-पत्रों के सत्यापन, अनुचित साधनों की रोकथाम एवं परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं स्वीकृत संस्थानों के अन्तर्गत कृषि अधीनस्थ सेवा नियम

6. वेतनमान- राज्य सरकार द्वारा देय सातवें वेतन आयोग के अनुसार कृषि पर्यवेक्षक का वेतनमान पै मेट्रिकस लेवल-5 निर्धारित है। परीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा।

अन्य शर्तें :-
(1)परीक्षा भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परीक्षार्थी प्रशिक्षु (Trainee) को परीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसी दरों पर संदत्त किया जायेगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्यात की जाये।
(2)परीक्षा भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त सभी व्यक्तियों की नियुक्ति दो वर्ष की परीक्षा अवधि के लिये की जायेगी। इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंडगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। परीक्षा अवधि में अन्य सुविधाएं एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में निहित संशोधित प्राधान्यों के अनुसार देय होगा। परीक्षा अवधि की समाप्ति पर पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे व स्थायीकरण का पात्र होगा।

7. पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता:-

(i) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एस.सी.(कृषि) या बी.एस.सी.(कृषि-उद्यान) ऑनर्स अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 योजना के अधीन कृषि के साथ सीनियर माध्यमिक या पुरानी योजना के अधीन कृषि के साथ उच्च माध्यमिक।
और

(ii) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।
जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा हो, जो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए कृषि पर्यवेक्षक पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा लेकिन वह, उसे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

1. मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले, जहां लिखित परीक्षा और सहाकार के दो चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है,
2. सहाकार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और सहाकार के माध्यम से चयन किया जाता है।
3. लिखित परीक्षा या सहाकार में उपस्थित होने से पहले जहां केवल लिखित परीक्षा या केवल सहाकार के माध्यम से चयन किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

समूचित चयन एजेंसी/ बोर्ड को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता लिखित परीक्षा की तिथि तक अर्जित कर लेने का सबूत प्रस्तुत करना होगा। बोर्ड द्वारा उक्त पदों पर चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा।

अन्य योग्यताएं :-

(1) स्वास्थ्य-कृषि पर्यवेक्षक पद भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि कृषि पर्यवेक्षक रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके और यदि वह चर्चित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिये अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडिकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः वह निवास करता है।

(2) चरित्र :- सेना में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे कि वह कृषि पर्यवेक्षक पद पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सके। उसे सदाचरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, के प्राधान्य/शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त, प्रस्तुत करना होगा और दो ऐसे सहायक व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन-पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अर्हक के रिक्तेदार द्वारा दिये हुये नहीं हो।

8. राष्ट्रीयता :-

- (क) भारत का नागरिक हो, या
- (ख) नेपाल का प्रवाजन हो, या
- (ग) भूटान का प्रवाजन हो, या
- (घ)एस तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1-1-82 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से आया था, या
- (ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति न जो भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगांडा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टंगानिया/तांजानिया जंजीबार), जाम्बिया, मालदीव, जैर और इथायिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो।

नोट-परन्तु शर्त यह है कि वर्ग (ख),(ग),(घ),(ङ) से सम्बन्धित प्राथियों को भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वाचित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9. आयु-कृषि पर्यवेक्षक-आवेदक 1, जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, परन्तु "जिस मर्ती वर्ष विशेष में सीधी मर्ती के पदों के लिये मर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की मर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किन्तु वह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जायेगी।"

स्पष्टीकरण—कृषि पर्यवेक्षक मर्ती परीक्षा का आयोजन वर्ष 2018-2019 के बाद में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट दी जाएगी।

उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार देय होगी-

- अधिकतम आयु सीमा में -
 - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अर्थाथियों को, जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
 - सामान्य वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अर्थाथियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
 - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की महिला अर्थाथियों को जो राजस्थान की मूल निवासी हैं, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- अधिकतम आयु सीमा उस मूलपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जिसने सजा मिलने से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर संस्थाई आधार (Substantive) पर सेवा की हो और जो सजा पाने से पूर्व नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।
- अधिकतम आयु सीमा में किसी ऐसे मूलपूर्व कैदी के मामले में उसके द्वारा भोगी गई सजा की अवधि के बराबर काल तक की छूट दी जाएगी, जो कि सजा मिलने से पहले अधिक आयु का नहीं हुआ था और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए योग्य था।
- एन.सी.सी. कैडेट प्रशिक्षकों (Cadet Instructors) को उनकी वास्तविक आयु में से उतना समय घटाने की अनुमति दी जायेगी जितना समय उन्होंने एन.सी.सी. की सेवा में बिताया है यदि उसके परिणाम स्वरूप उनकी आयु उपर्युक्त निर्धारित अधिकतम आवधि 3 वर्ष से ज्यादा नहीं हुई हो।
- राज्य सेवा में एक पद के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त किए गए व्यक्तियों को आयु सीमा के भीतर माना जाएगा यदि वे आयु सीमा के भीतर, जब वे शुरू में नियुक्त किए गये थे, मले ही वे आयु सीमा पार कर चुके हों, जब वे घयन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हों, और दो अवसरों तक की अनुमति दी जायेगी, जैसे वे अपनी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय पात्र थे।
- आयोग के कार्यालय के भीतर न आने वाले पदों पर मर्ती के लिए एन व्यक्तियों की, जिनकी रिक्ति के अभाव में या पद की समाप्ति के कारण राज्य सरकार की सेवा से छंटनी कर दी गयी थी, ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष होगी बशर्त कि वे उन पदों पर, जिन पर से उनकी प्रथम: छंटनी की गयी थी, प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इन नियमों के अधीन विहित अधिकतम आयु सीमा में थे परन्तु यह तब जबकि मर्ती के सामान्य विहित माध्यमों की सम्यक् रूप से अनुपालना कर ली जाये और अर्हता, चरित्र, चिकित्सीय अयोग्यता आदि से संबंधित समस्त अपेक्षाओं को पूर्ण कर ली जाये तथा उनकी छंटनी शिक्षायात या उपचार के कारण नहीं हुई हो और वे अंतिम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहा गया अन्वी सेवाओं का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दें।
- सेवा में मुक्त होने के बाद जारी किए गए आपातकालीन कमीशन अधिकारी और शॉर्ट सर्विस कमीशन के अधिकारियों के व्यक्तियों के मामले में निर्धारित आयु सीमा में माना जायेगा मले ही वे निर्धारित आयु सीमा को प्राप्त कर चुके हों जब वे घयन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हों।
- 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से वापस भारत आये व्यक्ति के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
- मूलपूर्व सैनिकों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी परन्तु कास/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 02 वर्ष कम शिथिल करने योग्य होगी। मूलपूर्व सैनिकों के लिये आयु में रियायत के प्रावधान कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(18) कार्मिक/क-2/84 पार/11 दिनांक 17.4.2018 एवं दिनांक 22.12.2020 के अनुसार भी लागू होंगे।
- एन.सी.सी. के कैडेट प्रशिक्षकों के मामले में उपर्युक्त निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जाएगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जाएगा।
- पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, टांगानिका, युगाण्डा और जंजीबार से संप्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
- विधवाओं और विध्वंस विवाह महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी किन्तु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम होगी बाधियों।

स्पष्टीकरण - विधवा महिला के मामले में उसे समक्ष प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विध्वंस विवाह महिला के मामले में उसे विध्वंस विवाह का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

नोट-

- संस्थाई कर्मचारी को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट तनी दी जायेगी यदि वह बोर्ड कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम दिनांक तक संस्थाई कर्मचारी की श्रेणी में हो। आवेदक के अधिकार का होने पर उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- आयु संबंधी छूट की अधिक जानकारी के लिये राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम-1978 एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी संशोधन, निर्देश, परिपत्र एवं अधिसूचना का अध्ययन करें।
- उपरोक्त विनू 9 की क.सं. 1 से 12 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है अर्थात् अर्थाथियों को उपरोक्त क.सं. 1 से 12 में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

10. अंशदायी पेंशन-नये मर्ती/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये नियमानुसार अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

11. विवाह पंजीयन- शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह-13/2006 दिनांक 22-5-2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र क्या समय वांछनीय होगा।

12. परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि-

- परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मिड कियोस्क, जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.), नेट बैंकिंग, एटीएम, कम डेबिट कार्ड एवं क्र्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 16.02.2021 से दिनांक 17.03.2021 को मध्य रात्रि 11.59 बजे तक जमा कराया जा सकता है।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 16.02.2021 से दिनांक 17.03.2021 को मध्य रात्रि 11.59 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट पर भरें जा सकते हैं (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा)। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें।

13. परीक्षा का माह एवं दिनांक-कृषि पर्यवेक्षक के पदों की मर्ती परीक्षा बोर्ड द्वारा आवंटित परीक्षा केन्द्रों पर कराई जायेगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट एवं प्रेस विज्ञापन के माध्यम से अलग से दे दी जायेगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।

14. अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में -तनी आवेदक को पहले से ही सरकारी नौकरी में है या सरकारी उपकरणों में नियुक्त है, उन्हें अपने निवृत्तियों को इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही लिखित में सूचित करते हुये आवेदन करना चाहिए।

15. नियुक्ति की अयोग्यताएँ :-

- (1) किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायेगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है।
- (2) किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायेगा। किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है।
- (3) कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।
- (4) ऐसा कोई भी अर्थाथी, जिसके 1-6-2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरहिंत नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्वान उसके बच्चों की संख्या में बढोत्तरी नहीं होती।
- परन्तु यह और कि जहां किसी आवेदक के पूर्वतर प्रत्येक से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्तरी प्रत्येक से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं उहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।
- परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतर प्रत्येक से पैदा हुई हो और निश्चय हो, गणना नहीं की जाएगी।
- (5) कोई भी उम्मीदवार जिसे राजस्थान कर्मचारी घयन बोर्ड ने छयनकारिता (अपने आप को अन्य व्यक्ति होना बताना) करने, या कांट-कांट किए हुए जाती दस्तावेज पेश करने या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने या परीक्षा में अनुचित तरीके काम में लेने या लेने का प्रयत्न करने, या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित तरीके अपनाने का दोषी घोषित किया हो, वह अपने आप को फौजदारी मुकदमों का उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए, स्थाई रूप से या राजस्थान कर्मचारी घयन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक के लिए बहिष्कृत (Debarred) कर दिया जायेगा।

16. आवेदन कैसे करे-

आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है, उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट- राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की कमीलेजर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (कमीलेजर एवं नॉन कमीलेजर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

सुचना ध्यान दे-

- आवेदकों को हिरायत दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड के विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर निर्देशों के साथ-साथ, निर्धारित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही-सही एवं पूर्ण भरी गई हैं। समस्त प्रविष्टियां पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुये परीक्षा में अर्थाई प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी का आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के अर्थाथियों का Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अथवा Online Application Form प्राप्ति की अंतिम दिनांक पश्चात् (संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद) वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अर्थाथियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस संबंध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जाएगा।
- बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अर्थाथियों की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाइन आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में संशोधन की अवधि समाप्त होने के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

आवेदक जिनके ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम दिनांक तक बोर्ड कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होगी, ऐसे आवेदकों को बोर्ड द्वारा अयोग्य (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश-पत्र जारी करने का यह अधिपत्र नहीं है कि बोर्ड द्वारा उसकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में की गयी प्रविष्टियां बोर्ड द्वारा सही मान ली गई हैं। बोर्ड द्वारा आवेदकों की पात्रता की जांच अलग से की जायेगी। अर्थाथी रूप से घयन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन दो प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की सप्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं मूलपूर्व सैनिक या अन्य शर्तों की पालना नहीं करने के कारण यदि अर्थाथी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अर्थाथी की होगी।

अर्थाथियों की सुविधा हेतु विस्तृत विज्ञापन राजस्थान रोजगार संदेश के आगामी संस्करण में प्रकाशित किया जा रहा है एवं बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

7. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश

फोटो अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-

- फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
- आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो (अधिकतम छ: माह पुराना) अपलोड करनी चाहिए। मोबाइल व अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नहीं करें।
- फोटो की पृष्ठभूमि (Background) सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए।
- फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50 प्रतिशत जगह घेरना चाहिए।
- फोटो में आवेदक का चेहरा एवं स्तिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का स्तिर, आंख, नाक और छोटी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
- यदि आप स्वरूप पहनते हैं, तो फोटो खिंचवाते समय बसमा पहन सकते हैं लेकिन चश्मे पर चमक (Flash) नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक की फोटो में काला या धूस का चरमा नहीं होना चाहिए।
- फोटो जेपीईजी (JPEG) प्रारूप में होना चाहिए एवं इसकी साईज 3.5 cm × 4.5 cm होनी चाहिए।
- फोटो जेपीईजी (JPEG) के फिक्सेल न्यूनतम 240 × 320 एवं अधिकतम 480 × 640 (0.3 मेगापिक्सेल) होना चाहिए।
- जाईल का आकार 50 के.बी. से 100 के.बी. तक होना चाहिए।
- स्कैन की गई फोटो का आकार 100 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
- परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर लगी फोटो आवेदक से मिले खानी चाहिए अथवा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।

(क्रमशः)

8. हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-

- आवेदक एक सफेद कागज (A4 size) पर 7 सेमी चौड़ाई एवं 2 सेमी ऊँचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें।
- हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा।
- आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को स्कैन करवाकर आयताकार बॉक्स तक क्रॉप करने के पश्चात् अपलोड करें।
- परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर किये गये आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।
- केवल जेपीईजी (JPEG) फॉर्मेट को स्वीकार किया जाएगा।
- जेपीईजी (JPEG) के लिए न्यूनतम पिक्सेल 280 x 80 से अधिकतम पिक्सेल 560 x 160 होना चाहिए।
- फाईल का आकार 20 के.बी. से 50 के.बी. तक होना चाहिए।
- हस्ताक्षर का आकार 50 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
- मोबाईल फोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

विशेष टिप्पणी :-

- परीक्षा के पश्चात् संबंधित परीक्षा का प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी (Answer Key) बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाकर आपत्तियाँ आमंत्रित की जायेंगी। प्रत्येक आपत्ति के लिये परीक्षार्थी को निर्धारित तरीके से शुल्क 100/- रु जमा करना अनिवार्य है। इसकी प्रक्रिया आपत्ति आमंत्रित करने हेतु जारी की जाने वाली विज्ञापित में बताई जायेगी।
- परीक्षा देने के लिये आते समय अर्थात् रेल/बस की छतों एवं पायदानों पर यात्रा नहीं करें। यह भी ध्यान रखें कि बस स्टैंड/रेलवे स्टेशन और रास्तों में तोहफो, लूटपाट, हुडकन, पथराबाजी, आगजनी एवं महिलाओं के साथ छेड़खानी आदि न करें तथा अनुशासन बनाए रखें।
- कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आए। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए नीली स्याही का पारदर्शी बालपेन, 2.5x2.5 से.मी. का एक फोटो, एक फोटोकॉपी मूल पहचान पत्र, ई-प्रवेश पत्र ही कक्ष में ले जा सकते हैं। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल व अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुझा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की नहीं होगी।
- जिस परिसर के भीतर परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहां मोबाइल फोन, पेजर्स, ब्लूटूथ या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बंधित आवेदक के खिलाफ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम रैग्यूलेशन, 2016 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसमें आवेदक की परीक्षा निरस्त किया जाना भी सम्मिलित है।
- सभी परीक्षार्थियों के लिये बोर्ड का टूट कोड लागू होगा। विस्तृत विवरण बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
- परीक्षार्थी को ई-प्रवेश पत्र पर उल्लेखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

- 17. ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया :-** यदि कोई अर्थात् अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 07 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300/- रुपये देकर ऑनलाईन आवेदन में संशोधन कर सकता है। ऑनलाईन आवेदन में अर्थात् के नाम, पिता के नाम, माता के नाम एवं पद नाम के अलावा अन्य प्रविष्टियों में संशोधन किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने एवं संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा करने की प्रक्रिया ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान ही होगी। इसके पश्चात् ऑनलाईन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अर्थात् का होगा।

- 18. श्रुत लेखन की सुविधा:-** सामान्यतया सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न-उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे, केवल राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार निगम, 2018 में वर्णित ऐसे विशेष योग्यजन (नेत्रहीन/Blind) सूक्ष्मदृष्टि एवं अल्प दृष्टि न्यूनतम 40 प्रतिशत दृष्टि निःशक्तता) या शारीरिक रूप से निःशक्तता (जो बांह कटे होने या उंगलियाँ नहीं होने के कारण लिखने में असमर्थ हैं, जो परीक्षा में श्रुतलेखक उपलब्ध कराये जायेंगे, परन्तु अचानक दुर्घटनाकार लेखन कार्य से अस्मर्थ रूप से असमर्थ हुए अर्थात् को यह सुविधा देय नहीं होगी। श्रुतलेखक उपलब्ध कराने हेतु ऐसे परीक्षार्थी प्रवेश पत्र प्राप्त होते ही वाञ्छित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित बोर्ड को सूचित करें एवं परीक्षा प्रारम्भ होने के कम से कम तीन दिन पूर्व ऑनलाइन परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक के सम्पर्क उपस्थित होकर वाञ्छित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित श्रुतलेखक की व्यवस्था हेतु अनुरोध करें और प्रमाण पत्र की सप्रमाणित एक प्रतिकेन्द्राधीक्षक को भी दी जायेगी।

- 19. प्रमाण-पत्रों का सत्यापन-आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/अधिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी) का लाभ तब ही देय होगा जबकि परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उनकी पात्रता की जाँच कर ली गई हो तथा दस्तावेज सही पाये गए हों। अतः पात्रता की जाँच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जावे :-**

- जाति प्रमाण-पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रश्न पत्र पर दिया हुआ है।
- अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रोमीलेवर/नॉन क्रोमीलेवर की प्रविष्टियाँ सही-सही एवं पूर्ण भरी गई हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण-पत्र नियमानुसार नवीनतम जारी किये हुए होने आवश्यक है।
- अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रश्न पत्र पर जारी किया हुआ है। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा निर्धारित शुल्क के अभाव में ऐसा आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। पति के आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के क्रोमीलेवर के अर्थात् अयोग्यता को आक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अर्थात् को Online Application Form पर सामान्य आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र Online Application Form प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिए अन्यथा अंतिम दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।
- शैक्षणिक योग्यता, आयु, वैवाहिक स्थिति, परित्यक्ता, मृतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, विशेष योग्यजन, वरिष्ठ एवं अन्य आवश्यक समस्त मूल दस्तावेज।

- 20. आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम:-** आवेदकों को अपने ऑनलाईन आवेदन में समस्त सूचना सही-सही अंकित करनी चाहिए और परीक्षार्थियों को केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्य पालन करना चाहिए, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध बोर्ड/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 के अन्तर्गत एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination" तथा "The Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। अर्थात् अयोग्यता के सूचनायें निर्धारित दण्ड एवं कारणों की विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई है।

- 21. परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम :-** कृषि पर्यवेक्षक के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम निम्नानुसार है :-

प्रश्न पत्र का नाम	विषय का नाम	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक
भाग-I	सामान्य हिन्दी	15	45
भाग-II	राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं संस्कृति	25	75
भाग-III	शस्त्र विज्ञान	20	60
भाग-IV	उद्घाटनिकी	20	60
भाग-V	पशुपालन	20	60
कुल योग		100	300

नोट :-

- वैकल्पिक प्रकार का एक प्रश्नपत्र होगा।
- अधिकतम पूर्णांक 300 अंक होगा।
- प्रश्नपत्र में प्रश्नों की संख्या 100 होगी।
- प्रश्नपत्र की अवधि 200 घण्टे की होगी।
- प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक होंगे।
- प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/3 ऋणात्मक भाग काटा जायेगा।

कृषि पर्यवेक्षक भर्ती की परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर अलग से उपलब्ध है।

- 22. बोर्ड की वेबसाइट:-** आवेदक बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्वीटीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141-2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुर, जयपुर-302018 को सम्बोधित किया जायेगा।

(हरि प्रसाद शर्मा)
अध्यक्ष

डॉ.आई.पी.आर/सी/1271/2021 रा.रो.सं 06/2021

वार्षिक अभिदाताओं हेतु आवश्यक सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश (पाक्षिक) के वार्षिक अभिदाता बनने हेतु अथवा वर्तमान में चल रहे अभिदाता जिनका वार्षिक शुल्क समाप्त होने आ रहा है वे रूप्य 40/- की राशि का भारतीय पोस्टल ऑर्डर या डिमान्ड ड्राफ्ट सहायक निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार संदेश के पक्ष में भेजकर इस पाक्षिक पत्र के वार्षिक सदस्य बन सकते हैं - सम्पादक

सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश के प्रकाशित लेखों एवं प्रशिक्षण एक परिचय में प्रयुक्त विषय वस्तु लेखकों / संस्थानों की अपनी है। सम्पादक इन विषय वस्तु एवं इनसे उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद के लिए किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं है। - सम्पादक

राजस्थान रोजगार संदेश

मुख्य सम्पादक
महेश शर्मा
निदेशक, रोजगार सेवा निदेशालय
राजस्थान, जयपुर
मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक
हरी राम बडगुजर
सहायक निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार संदेश, जयपुर,
ड्राफ्ट का पता : सहायक निदेशक प्रकाशन, दरबार स्कूल परिसर,
गोपीनाथ मार्ग, जयपुर, पिनकोड- 302001, फोन- 2368398
ई-मेल: adsr.jpr.emp@rajasthan.gov.in